न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 21/24 GCMS NO 2024/59

रामेश्वर पुत्र अम्बालाल जाति मीणा निवासी ग्राम माधोराजपुरा (एकट) तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. भगवन्ती देवी पत्नि प्यारेलाल जाति मीना निवासी ग्राम एकट तहसील सपोटरा जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 23/23 निर्णय दिनांक 4.10.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री इंसाफ अली

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 17.9.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 4.10.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 435/1 रकबा 1.0117 है0 वाके ग्राम एकट तहसील सपोटरा मे स्थित है। जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/6 है। प्रार्थी की दर्ज सहखातेदारी की उक्त भूमि को अन्य दीगर सहखातेदार भाई बहिनो ने प्रार्थी को उक्त भूमि के सम्पूर्ण रकबा को संभला रखा है। और प्रार्थी ही नियमित रूप से उक्त भूमि पर फसल काश्त कर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि के लंगवा उत्तर दिशा की ओर मुझ प्रार्थी की दर्ज कृषि भूमि पर आने जाने का व आम जनता का रास्ता है। तथा कुछ भूमि के हिस्से पर प्रार्थी का पुराना कब्जा काश्त है जिससे अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई वास्ता नही है। अप्रार्थी संख्या 1 चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति है। जिसके द्वारा पटवारी हल्का से साज कर प्रार्थी की दर्ज सहखातेदारी की भूमि से लगवा भूमि पर राजस्व रिकार्ड मे फर्जकारी करवाकर खसरा न0 429 की तरमीम करा ली जो विधि विरूद्व है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि का मुताबिक मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम नही की गई है। प्रार्थी से द्वेषता रंजिश रखते हुए अपनी दर्ज खातेदारी की भूमि खसरा न0 429 की अपने कब्जा से हटकर नवीन तरमीम कर ली है जो गलत एवं विधि विरूद्व है। जिससे मौके पर गंभीर विप्रार्थना की स्थिति पैदा हुई है। प्रार्थी अपनी सहखातेदारी की भूमि पर मुताबिक अपने राजस्व रिकार्ड के वर्षो से काबिज काश्त है। और अपनी दर्ज भूमि पर फसल काश्त का उपयोग करता रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि पर उत्तर दिशा की ओर गलत तरमीम कराने से अप्रार्थी प्रार्थी की दर्ज खातेदारी की कृषि भूमि पर आने जाने के रास्ता व मेरी दर्ज भूमि पर पूर्व से चला आ रहा कब्जा बाधा, रूकावट पैदा करने पर आमादा है तथा रास्ता बंद करने की धमकी दी गई। इसलिये अप्रार्थी को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे एवं मेरी खातेदारी की भूमि पर आने जाने के रास्ते व कब्जे मे बाधा उत्पन्न नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गलत रूप

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से कराई गई खसरा न0 429 की राजस्व रिकार्ड मे तरमीम दुरूस्त किये जाने तक मौके एवं रिकार्ड की स्थिति बनाई रखे जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/प्रार्थी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद तामिल मे उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गोर नही किया कि रेस्पो0 की आराजी खसरा न0 429 के सटेवा अपीलांट की सहखातेदारी भूमि है। तथा उक्त भूमि मे लगवा भूमि के उत्तर दिशा की ओर अपीलांट की भूमि है जो काफी पुराना है और अपीलांट का भी पुराना कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 संख्या 1 खसरा न0 429 की गलत तरमीम की आड मे सदियो पुराना रास्ते को बंद कर देगा। जिसमे अपीलांट को अपने खातेदारी भूमि पर आने जाने मे अवरोध उत्पन्न होगा और लडाई झगडा होने की स्थिति पैदा हो जावेगी। इस कारण उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि खसरा न0 435/1 रकबा 1.0117 ग्राम एकट स्थित आराजी पर अपीलांट का काफी पुराना कब्जा काश्त है। जिसके लगता अपीलाट की खातेदारी आराजी है। जिस पर आने जाने हेतु रास्ता है जो काफी पुराना है। उक्त गलत तरमीम रेस्पो0 ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर गुप्त रूप से कराई है। जिस पर कब्जा आज भी अपीलांट का है। उक्त तरमीम विधि विरूद्व है। और कब्जे के अभाव मे निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नही किया कि उक्त गलत तरमीम खसरा न0 429 व खसरा न0 435/1 की मौके एवं कब्जे की जॉच किये बिना मौके की रिपोर्ट मंगवाये एक पक्षीय हुई है। जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नही है। जबकि मौके पर आज भी कब्जा अपीलांट का है। उक्त बिन्दु दावा मे तय होना है। ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति दावे के निर्णय तक रखनी चाहिए थी। जब अपीलांट का दावा विचाराधीन है और रेस्पो0 का काउन्टर क्लेम धारा 128 एल आर एक्ट विचाराधीन होने की न्यायालय को जानकारी है। उगन्ती बनाम रामेश्वर पैण्डिग है। तो अधिनस्थ न्यायालय को उक्त दावे के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय पारित करना चाहिए था ना कि प्रार्थना पत्र खारिज करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह फाईण्डिग देकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया कि आराजी खसरा न0 429 रेस्पो0 की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। जिसमे प्रार्थी का कोई नाम दर्ज नही है जो सर्वविदित है। मगर अपीलांट की खातेदारी उदघोषणा का नही है। नक्शा शीट मे खसरा न0 429 कहा तक है और उक्त खसरा न0 की तरमीम कहा तक हुई है। जिस जगह गलत तरमीम की है उक्त जगह तो रेस्पो0 अपीलांट की कब्जे काश्त व खातेदारी पर कब्जा कर लगा और रास्ता बंद कर देगा और सदियो पुराना कब्जा समाप्त कर देगा। जिससे अपीलांट के हित प्रभावित होगे एवं लडाई झगडा की स्थिति पैदा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

होगी। अधिनस्थ न्यायालय को मौका रिपोर्ट मंगवानी चाहिए थी। इस कारण उक्त निर्णय निरस्त योग्य है। अपीलांट व रेस्पो0 की खातेदारी आराजी सटैवा है जिनमे बीच सीमा विवाद है और गलत तरमीम से अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी हको पर गलत असर पडेगा अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी और अपनी अन्य आराजी पर आसानी से आ जा नही सकेगा और उसकी खातेदारी आराजी को रेस्पो0 हडप कर लेगा। इस कारण उक्त निर्णय अपास्त योग्य है। गलत तरमीम का फायदा उठाकर रेस्पो0 अपीलांट की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मे बाधा उत्पन्न कर रहा है। जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबंद किया जाना आवश्यक है। अपीलांट काफी बुजुर्ग है जो बीमार रहता है और अपना ईलाज कराने बहार गया था इसके कारण समय मे अपील प्रस्तुत नही कर सका एवं अनपढ होने के कारण कानून का ज्ञान नही था। इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न कर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पो0 को पाबंद किया जावे कि मूल दावे के निस्तारण तक अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी व रास्ते के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से करावे और खसरा न0 429 की गलत तरमीम निरस्त की जावे। रिकार्ड एवं नक्शे मे पूर्व की स्थिति रिस्टोर की जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि उभयपक्षो के मध्य सीमा को लेकर विवाद है। तरमीम के सबंध मे वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है इस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। चूकि तरमीम के कारण रास्ते का आवागमन अवरूद्व होने का कथन अपीलांट द्वारा किया गया है। जबकि यदि किसी खातेदार को रास्ते के अभाव मे अपने कृषि भूमि पर आवागमन से रोका जाता है तो उसे अपनी भूमि की फसल काश्त करने से वंचित होना पडता है। इस प्रकार जब तक तरमीम के वाद का निस्तारण नही हो तब तक उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित मे आवश्यक प्रतीत होता है। इस प्रकार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना विधि सम्मत है।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के मु0न0 23/23 निर्णय दिनांक 4.10.23 को अपास्त किया जाता है। उभयपक्षकारान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा न0 435/1 व 429 ग्राम एकट की मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा कायम रखी जावे एवं एक दुसरे के कब्जे काश्त मे आपस मे रास्ते के आवागमन मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

निर्णय आज दिनांक 17.9.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:05 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
सहायक अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner